

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी— श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० — तारीख दायर तारीख फैसला  
74/2019/प्रार्थना पत्र 23.07.2019 05.09.2019

उनवान

- 1— जवाहरदत्त पिता रामस्वरूप ब्राम्हण नि० कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 2— तेजप्रकाश पिता रामस्वरूप उपाध्याय नि० कनेछनकलांतह० फूलियाकलां
- 3— दुर्गाशंकर पिता भूरालाल ब्राम्हण नि० कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 4— राधेश्याम पिता रामस्वरूप ब्राम्हण नि० कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- 5— लक्ष्मीदत्त पिता भूरालाल ब्राम्हण नि० कनेछनकलां तह० फूलियाकलां

— प्रार्थीगण

बनाम

- 1— गोपाल पिता किशना रेगर नि० कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
  - 2— दुर्गालाल पिता किशना रेगर नि० कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
  - 3— धर्मा पिता किशना रेगर नि० कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
  - 4— नाथूलाल ओझा पिता पन्नालाल ब्राम्हण नि० कनेछनकलां तह० फूलियाकलां
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 1177 आ०न० 1614 रकबा 1.20 है०, आ०न० 1616 रकबा 0.51 है०, आ०न० 1617 रकबा 0.82 है० आराजी कुल किता 03 रकबा 2.53 है० भूमि स्थित है। पेरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं०



1 व 4 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 1177 आ0न0 1614 रकबा 1.20 है0, आ0न0 1616 रकबा 0.51 है0, आ0न0 1617 रकबा 0.82 है0 आराजी कुल किता 03 रकबा 2.53 है0 के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण 1 लगायत 4 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 1177 आ0न0 1614 रकबा 1.20 है0, आ0न0 1616 रकबा 0.51 है0, आ0न0 1617 रकबा 0.82 है0 आराजी कुल किता 03 रकबा 2.53 है0 की प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1000/- ( अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता



है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(महावीर प्रसाद नायक)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा